तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2/23	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। वकील अपीलान्ट कि प्रार्थना पत्र धारा 5 बाबत मियाद अधिनियम एवं मूल अपील पर बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न धारा 5 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा पत्रावली के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 बाबत मियाद अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। अपील के साथ अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कि प्रमाणित प्रति के अवलोकन से पाया गया कि भूमि ख०न० 303 जो भूमि ख०न० 1317 का ही नम्बर बना है। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि भूमि ख० न० 1317 के नये नम्बर 352, 292 लगायत 303 नम्बर बने है। पत्रावली में उपलब्ध विकास अधिकारी पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है जिसकी फोटो प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भूमि ख०न० 1317 मे से पट्टा जारी हुआ है। जो दिनांक 12-12-74 को जारी किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध मिलान सॅजरफसल से यह तो स्पष्ट है कि भूमि ख०न० 303 जो ख०न० 1317 का ही नया नम्बर है। यह बात भी सही है कि ख० न० 303 का पट्टे में कही भी अंकन नही है। पट्टे के पीछे जो नजरी नक्शा बनाया है जिसमें ख०न० 1317 का ही अंकन है। अपील का मुख्य कथन यह है कि पंचायत समिति [illegible] किया गया है वो ख०न० 303 जो 1317 का ही भाग है। अधिनस्थ [illegible] ख० न० 303 किस्म चारागाह में [illegible] बनाकर अतिक्रमण किया गया बताया इस प्रकार दोनो के कथन ही विरोधाभासी है। जिसका निस्तारण मौके पर सीमाज्ञान करवाने पर	

(अनिल कुमार)
जिला कलक्टर
जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.02 11:30:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम	
	ही हो सकता है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मौके पर सीमाज्ञान कर उसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही कि गई हों। इसलिए मौके पर सीमाज्ञान करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गई है जिसमे पंचायत समिति द्वारा जारी पट्टे व अन्य दस्तावेजात का स्पष्ट अवलोकन कर कार्यवाही कि गई हों। इस आधार से अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यो की भी पुष्टि होती है। इन सभी तथ्यो के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ द्वारा मु० न० 39/2018 उनवानी सरकार बनाम लालचन्द मे दिनांक 9-3-2018 को पारित आदेश अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्ट इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि जाती है कि मौके पर भूमि का सीमाज्ञान कर एवं रिकार्ड तथा पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा जारी पट्टे का अवलोकन किया जावे एवं अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर पुन: निर्णय पारित करें। पालना हेतु उप तहसीलदार अजीतगढ को तहरीर के साथ निर्णय कि प्रति भेजी जाकर निर्णय सुनाया। पत्रावली फैसल [illegible] से क्रम होकर दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.02 11:30:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner